न्यायालय अनुमंडलीय न्यायिक दण्डाधिकारी,दाउदनगर,औरंगाबाद।

दाउदनगर थाना कांड संख्या I–235 / 2021

जी0आर0संख्या I–365 / 21

10–06–21 काराधीन आवेदक अभियुक्त सुनील पासवान की ओर से विद्वान अधिवक्ता विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वकालतनामा एवं जमानत आवेदन दाखिल करते हैं।

काराधीन आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय से निवेदन करते हैं कि प्रार्थी सुनील पासवान दिनांक 07.06.2021 से उपकारा दाउदनगर जेल में बंद है। दाउदनगर थाना कांड संख्या I–235 / 21 में प्राथमिकी की धारा 147,241,323,307,379,504,448 भा0दं0वि0 के अंतर्गत लगाया गया है। प्रार्थी सर्वथा निर्दोष व्यक्ति है तथा गांव के गंदी राजनीति के तहत गलत एवं झूठा फंसाया गया है। सूचक के द्वारा आवेदन में आरोप लगाया गया है,वैसी घटना नहीं घटी है। प्रार्थी के घर में घटना के दिन लड़की के तिलक जाने के लिए तैयारी किया जा रहा था और पानी के टंकी गिरने से विवाद उत्पन्न हो गया है। अतः आवेदक अभियुक्त को किसी भी राशि के बंध पत्र दाखिल करने पर मुक्त करने की कृपा करें।

विद्वान अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि काराधीन आवेदक अभियुक्त के खिलाफ भा0दं0वि0 की धारा 147,341,323,307,379,594,506,448 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज है। प्राथमिकी के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 27–04–21 को सुबह समय करीब 8.30 बजे घर पर थे तो अचानक सूचक के ही गांव के एकराय होकर गाली गलौज देते हुए सूचक के घर चढ़कर दीपक पासवान, प्रदीप पासवान, बसंत पासवान, मुसाफिर पासवान, अनील पासवान, सुनील पासवान,सुरेन्द्र पासवान सभी अभियुक्तगण लाठी, खंती, लोहे का रड लेकर आये और सूचक के सभी आदमी को घेर लिये और सभी आदमी को ललकारते हुए जान मारने के नियत से दीपक पासवान और सुरेन्द्र पासवान लोहे के रड से सूचक के सिर पर चलाया लेकिन सूचक सिर को दाहिने तरफ झूका दिया तब रड से सूचक के वाये कंधा पर लगा जिससे पुरा कंधा सूजन हो गया और सभी आदमी लाठी एवं खंती से मारकर जमीन पर गिरा दिये और जमीन पर गिरने पर भी लाठी से मारकर पुरा पीठ को जख्मी कर दिया । मारपीट करते समय सूचक के गला से सोने का चैन दीपक पासवान छीन लिया । वाद का अनुसंधान जारी है। अभियुक्त प्राथमिकी के नामजद हैं। यह एक गंभीर किस्म का अपराध है।

अतः उपरोक्त तथ्य परिस्थिति एवं अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए काराधीन आवेदक अभियुक्त का जमानत आवेदन प्रदान करना न्यायोचित् प्रतीत नहीं होता है। अतः काराधीन आवेदक अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।

लेखापित

प्र0अनु0न्या0दण्डा0